एनपीएस निकासी ऑनलाइन – प्रक्रिया, नियम और कराधान

NPS Withdrawal Online - Process, Rules & Taxation

(डिस्प्यूट / भिन्नता / विवाद की स्थिति में NPS के तात्कालिक नियम ही मान्य होंगे)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या एनपीएस 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, एनपीएस पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संचालित है। यह 18 से 65 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध है– वर्तमान में, 8 प्रकार के पेंशन फंड मैनेजर हैं –

- ✓ LIC Pension Fund Ltd.
- ✓ SBI Pension Funds Pvt. Ltd.
- ✓ UTI Retirement Solutions Ltd.
- ✓ Reliance Capital Pension Fund Ltd.
- ✓ HDFC Pension Management Co. Ltd.
- ✓ ICICI Prudential Pension Fund Management Co. Ltd.
- ✓ Kotak Mahindra Pension Fund Ltd.
- ✓ Birla Sunlife Pension Management Ltd.

एनपीएस निकासी नियमों के लिए कई प्रतिबंध और शर्तें हैं जिनके बारे में खाताधारकों को पता होना चाहिए।

❖ एनपीएस निकासी नियम ––NPS Withdrawal Rules

❖ आंशिक एनपीएस निकासी (In case of partial NPS withdrawal)

एनपीएस से आंशिक निकासी केवल विशिष्ट बीमारियों के इलाज, घर की खरीद या निर्माण, बच्चों की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध है।

❖ NPS खाते से आंशिक निकासी के निम्न नियम हैं –––

(अ) आंशिक निकासी के लिए पात्र होने के लिए अंशधारकों को कम से कम 3 वर्षों के लिए एनपीएस खाता रखना होगा

(ब) खाताधारक की जमा राशि में से अधिकतम 25% राशि निकाला जा सकता है। (सरकार का अंशदान और ब्याज नहीं जोड़ना है) उदाहरण के लिए, यदि निकासी के समय किसी खाताधारक का अंशदान रु.5 लाख है, तो वह रु.1.25 लाख निकालने के लिए पात्र होगा।

(स) सब्सक्राइबर पूरी सेवा अवधि के दौरान केवल 3 बार ही आंशिक रूप से निकासी कर सकते हैं। प्रत्येक निकासी के बीच न्यूनतम 5 वर्ष का अंतर होना चाहिए।

(द) सेवानिवृत्ति के मामले में (In case of retirement) –

––अगर किसी के एनपीएस खाते में जमा राशि 2 लाख रुपये के बराबर या उससे कम है, तो वह अपना पूरा फंड निकाल सकता है।

––यदि किसी की संचित राशि 2 लाख रुपये से अधिक है, तो इस फंड का 40% वार्षिकी योजना खरीदने के लिए खर्च किया जाएगा।

–– शेष राशि 60% को एकमुश्त निकाला जा सकता है और 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक स्थगित भी किया जा सकता है।

उदाहरण – श्री A सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अपने एनपीएस खाते से निकासी की योजना बना रहे हैं। उनके खाते में जमा राशि 25 लाख रुपये है। अपेक्षित एनपीएस निकासी नियमों के अनुसार, वह 15 लाख रुपये (25 लाख रुपये का 60%) निकालने में सक्षम होंगे। शेष 10 लाख रुपये का उपयोग वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए किया जाएगा। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस फंड को निकाला जा सकता है (कुल कॉर्पस का 60%) कर से मुक्त होगा। हालांकि, वार्षिकी, प्राप्त होने पर, ग्राहक के आयकर स्लैब के अनुसार हर साल कर योग्य होगा।

❖स्वैच्छिक निकास के मामले में (In case of voluntary exit)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहक इस योजना का कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वेच्छा से इस योजना से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे मामलों के लिए निम्न नियम हैं –

a) स्वैच्छिक निकास के लिए पात्र होने के लिए अभिदाताओं को न्यूनतम 10 वर्षों के लिए एक खाता रखना होगा।
b) यदि जमा राशि 1 लाख रुपये से कम है, तो खाताधारक पूरी राशि निकाल सकता है।
c) यदि जमा राशि 1 लाख रुपये से अधिक है, तो इस राशि का 80% वार्षिकी (Annuity) योजना की खरीद के लिए रखा जाएगा।

उदाहरण – श्री B ने 40 साल की उम्र में समय से पहले एनपीएस से बाहर निकलने की योजना बनाई है। उनके खाते में 15 लाख रुपये हैं। अब, एनपीएस निकासी नियमों के अनुसार, वह केवल 3 लाख रुपये (15 लाख रुपये का 20 %) ही निकाल पाएंगे। शेष 12 लाख रुपये का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाएगा। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निकाली गई राशि और वार्षिकी दोनों ही कर योग्य होंगे। निकाली गई राशि को ग्राहक की आय में जोड़ा जाएगा और उस पर उस आयकर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा जिससे वह संबंधित है।

दूसरी ओर, भुगतान किए जाने वाली वार्षिकी (Annuity) कर योग्य होगी। 80% में से वार्षिकी (Annuity) खरीदने के लिए उपयोग की जाने वाली राशिपर प्रत्येक वर्ष प्रत्येक खाताधारक पर कर लगाया जाएगा।

❖ एनपीएस से निकासी की प्रक्रिया क्या है - (What is the Process for Withdrawal from NPS)

एनपीएस खाते से निकासी की प्रक्रिया टियर 1 और टियर 2 खातों के लिए अलग है। जिसकी निम्नानुसार समान प्रक्रिया होगी –

❖ एनपीएस टियर 1 निकासी ऑनलाइन विधि (NPS Tier 1 withdrawal Online method)

- NSDL-CRA की official website **https://cra-nsdl.com/CRA/** की वेबसाइट खोले।
- लॉग इन करने के लिए अपना यूजर आईडी (PRAN) और पासवर्ड दर्ज करें।
- "Transaction Online" टैब में "Withdrawal" पर क्लिक करें।
- उपलब्ध आप्शन में से Partial withdrawal from Tier-I चुनें।
- अपने प्रान नम्बर की पुष्टि करें और सबमिट पर क्लिक करें।
- निकासी का कारण दर्ज करें।
- निकाली जाने वाली धनराशि का प्रतिशत (1% से 25% तक) दर्ज करें।
- "सबमिट" पर क्लिक करें।

एक फॉर्म जेनरेट होगा जिसे सब्सक्राइबर्स (खाताधारक) को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ नोडल ऑफिस में जमा करना होगा –मूल प्रान कार्ड।, केवाईसी दस्तावेज।, खाताधारक द्वारा अग्रिम प्राप्ति रसीद (रेवेन्यु स्टाम्प पर क्रॉस हस्ताक्षरित)।,बैंक लेटरहेड या बैंक पासबुक या बैंक प्रमाणपत्र या रद्द किया गया चेक जिसमें खाताधारक का नाम, बैंक खाता संख्या और बैंक IFSC कोड हो।,यदि ग्राहक पूरी राशि निकालने के लिए पात्र है तो अनुरोध सह अंडरटेकिंग फॉर्म।

❖ ऑफलाइन विधि (Offline method)

खाताधारक को निकासी (आंशिक निकासी, निकास, या सेवानिवृत्ति) के लिए उपयुक्त फॉर्म डाउनलोड करना होगा, इसे विवरणों के साथ भरना होगा, और इसे ऊपर उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा। खाताधारक इन फॉर्मों को निकटतम (Point of Presence Service Provider (PoP/PoP- SP) में जमा करना होगा।

❖एनपीएस टियर 2 निकासी (NPS Tier 2 withdrawal)

टीयर 2 निकासी केवल पीओपी–एसपी के माध्यम से ऑफलाइन ही की जा सकती है। ऐसा करने के लिए सब्सक्राइबर्स को UOS-S12 फॉर्म भरना होगा और इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा। पीओपी निकासी रिक्वेस्ट शुरू करेगा और 3 दिनों के भीतर राशि का वितरण करेगा।

❖ एनपीएस पर Tax Implications क्या हैं ?

- ✓ Section 80CCD (1) – 1.5 लाख रुपये धारा 80सी के तहत दी जाने वाली समग्र कर छूट के तहत उपलब्ध है।
- ✓ Section 80CCD (2) - नियोक्ता द्वारा योगदान– वेतन का 10% (मूल + डीए) –धारा 80सीसीडी(1) के अतिरिक्त
- ✓ Section 80CCD (1b) - अधिकतम रु. 50,000 – धारा 80सीसीडी (1) और धारा 80सीसीडी (2) के अतिरिक्त

✓ ***(Prepared By – चन्द्र प्रकाश कुर्मी, व्याख्याता,राउमावि टोडारायसिंह टोंक)***